

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक पं 29(1)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 20 JUN 2017

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप -3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(2) प्र0सु./अनु-3/2016/दिनांक 05.04.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में उतीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1.	श्री साबिर खान	श्री बाबू खान	Gen	1181	204175	12-07-1980

को अधिनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाएं:-

- एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
 - एफ.16(2)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
 - एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
 - एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
 - एफ.16(5)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
 - एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/06/ दिनांक 13.03.2006
- तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-
- प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005/ दिनांक 20.01.2006
 - प.7(3)कार्मिक/क-2/2006/ दिनांक 30.06.2006

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन होगी:-

- उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7(2) डीओपी/ए-2/05 दिनांक 20.01.2005 एवं वित्त विभाग आदेश क्रमांक प. 14(1) वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 8910.00 प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लिपिक के पे-बेण्ड नं.-1 5200-20200-ग्रेड पे नम्बर 9-2400 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी यदि अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय-समय पर सशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
- उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।
- उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जो उनके सम्बन्धी न हो।


9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. नियमित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में सशोभित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
15. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहाँ पर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में रख ली गई है।
उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन कनिष्ठ लिपिक के पद पर निम्नप्रकार से किया जाता है:-

क्रम सं	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	श्री साबिर खान	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर

—६०—
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(2) प्र0सु./अनु-3/2016/ दिनांक 05.04.2017 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धौलपुर को मूल पत्रादि प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वाइन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर ले कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं।
4. सहायक निर्देशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर।
5. श्री साबिर खान पुत्र श्री बाबू खान, कहार गली दाडी, जिला धौलपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


 20/6/17
 उप शासन सचिव
 उप शासन सचिव
 विधि एवं विधिक कार्य विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर